परिशिष्ट

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: परिच्छेद 1.4, पृष्ठ 3)

राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के कामकाज के संबंध में संगठनात्मक संरचना

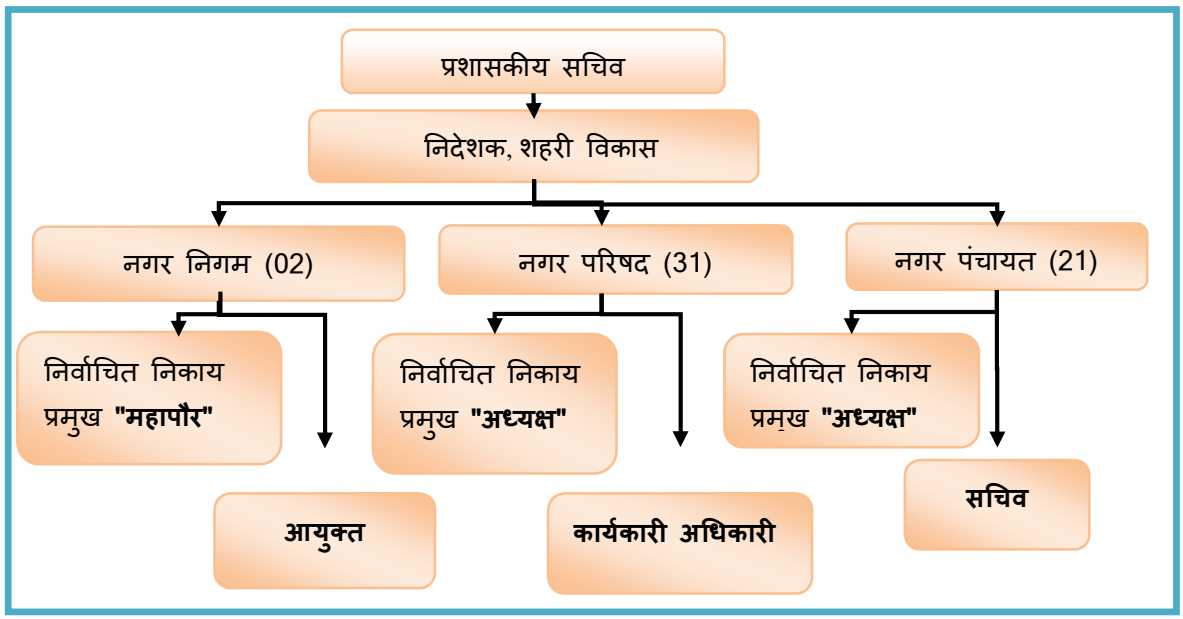

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ: परिच्छेद 1.4, पृष्ठ 3)

पैरास्टेटल्स एवं उनके कार्यों की सूची

क्र.सं.	पैरास्टेटल्स	कार्य
1.	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड	शिमला शहर में जलापूर्ति एवं सीवरेज व्यवस्था प्रबंधन
2.	हिमाचल प्रदेश आवासीय और शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा)	विभिन्न आय समूहों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूमि की योजना बनाना एवं विकसित करना एवं बुनियादी ढांचे का निर्माण करना।
3.	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	राज्य में लघु, मध्यम एवं वृहद पैमाने की औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने एवं स्थापित करने के लिए राज्य में प्रमुख एजेंसी।
4.	स्मार्ट सिटी धर्मशाला और शिमला	बुनियादी ढांचा प्रदान करने तथा अपने नागरिकों के जीवन-स्तर को अच्छी गुणवत्ता प्रदान करने हेतु सतत एवं समावेशी शहरों को बढ़ावा देना।

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3, पृष्ठ 6)

चयनित शहरी स्थानीय निकायों की सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	नगरपालिका की श्रेणी
1.	बिलासपुर	बिलासपुर	नगर परिषद
2.	हमीरपुर	हमीरपुर	नगर परिषद
3.	कांगड़ा	धर्मशाला	नगर निगम
4.		ज्वालामुखी	नगर परिषद
5.	कुल्लू	भुंतर	नगर पंचायत
6.		मनाली	नगर परिषद
7.	मंडी	नेरचौक	नगर परिषद
8.	शिमला	शिमला	नगर निगम
9.		रामपुर	नगर परिषद
10.		सुन्नी	नगर पंचायत
11.	सिरमौर	नाहन	नगर परिषद
12.		पांवटा साहिब	नगर परिषद
13.	सोलन	अर्की	नगर पंचायत
14.		सोलन	नगर परिषद

परिशिष्ट-4.1

(संदर्भ: परिच्छेद 4.2.1.6, पृष्ठ 24)

2015-20 के दौरान नगरपालिकाओं में आयोजित बैठकों की संख्या का विवरण

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	आयोजित की जाने वाली बैठकों की संख्या	2015-20 के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	आयोजित बैठकों का प्रतिशत
1.	नगर पंचायत, अर्की	60	39	**65**
2.	नगर पंचायत, भुंतर	60	35	**58**
3.	नगर परिषद, बिलासपुर	60	41	**68**
4.	नगर निगम धर्मशाला (अप्रैल 2016 को नव गठित नगर निगम)	48	24	**50**
5.	नगर परिषद, ज्वालामुखी	60	41	**68**
6.	नगर परिषद, हमीरपुर	60	29	**48**
7.	नगर परिषद, नेरचौक	60	23	**38**
8.	नगर परिषद, नाहन	60	45	**75**
9.	नगर परिषद, पांवटा साहिब	60	47	**78**
10.	नगर परिषद, रामपुर	60	37	**62**
11.	नगर निगम, शिमला	60	55	**92**
12.	नगर परिषद, सोलन	60	21	**35**
13.	नगर पंचायत, सुन्नी	60	57	**95**

परिशिष्ट-4.2

(संदर्भ: परिच्छेद 4.2.5.2, पृष्ठ 30)

राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का आंशिक कार्यान्वयन/अकार्यान्वयन

क्र.सं.	राज्य वित्त आयोग का नाम/पैरा संख्या	सिफारिश की विषय-सामग्री	की गई कार्रवाई पर प्रतिवेदन	कार्यान्वयन की स्थिति
1	प्रथम/19.1	कुछ स्थानीय सरकारी निकाय उन दरों और करों को नहीं लगा रहे हैं जिन्हें उनके द्वारा वैधानिक रूप से लगाया जाना चाहिए। सभी के लिए अपने दायरे में संसाधन जुटाना अनिवार्य होना चाहिए। आयोग को लगता है कि यदि कुछ स्थानीय सरकारी निकाय वैधानिक शुल्क वसूल नहीं करते हैं, तो आयोग की इस रिपोर्ट के माध्यम से अनुशंसित संसाधनों के हस्तांतरण को जारी नहीं किया जाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर कर संग्रह के अनुपालन से ही ये निकाय राज्य की संचित निधि से संसाधन हस्तांतरण को प्राप्त करने के योग्य होने चाहिए।	सरकार द्वारा सभी नगर पालिकाओं को अनिवार्य रूप से गृह कर लगाने का निर्देश दिया गया है। जबकि सरकार ने यह कहते हुए आयोग की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है कि अनुदानों को रोकना वांछनीय कदम नहीं होगा।	आंशिक रूप से लागू किया गया। नगर परिषद सोलन एवं नेरचौक संपत्ति कर नहीं लगा रहे हैं, सात[1] शहरी स्थानीय निकाय पुरानी पद्धति पर संपत्ति कर अर्थात् वार्षिक किराया मूल्य, चार[2] नवीन इकाई क्षेत्र पद्धति से तथा नगर परिषद नाहन अपनी ही पद्धति से कर उद्ग्रहित कर रहे थे। परिच्छेद **5.4.1** में संपत्ति कर पर विस्तार से चर्चा की गई है।
2	प्रथम/19.1	नागरिक बुनियादी ढांचे के विकास और विस्तार में, शहरी स्थानीय निकायों को राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियों से समझौता वार्ता के आधार पर	हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम निगम को ऋण जुटाने की अनुमति देता है	**लागू नहीं किया गया।** हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 में

1 वार्षिक किराया मूल्य: नगर पंचायत भुंतर, सुन्नी, नगर परिषद हमीरपुर, मनाली, पांवटा साहिब, रामपुर तथा नगर निगम धर्मशाला।

2 नगर पंचायत अर्की, नगर परिषद बिलासपुर, ज्वालामुखी तथा नगर निगम शिमला।

		ऋण का तेजी से आश्रय लेना चाहिए।	लेकिन हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम में संशोधन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।	अभी तक संशोधन नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप नगर परिषद एवं नगर पंचायत राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियों से ऋण लेने की स्थिति में नहीं हैं।
3	<u>तृतीय 14.20-22</u>	आयोग ने दूसरे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा की तर्ज पर एक शहर के भीतर उसकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार अंतर कराधान की सिफारिश की है। इस रचना (डिजाइन) का विवरण परिच्छेद 14.20 से 14.22 में निहित है और राज्य सरकार इन सुझावों पर जाने के लिए एक अध्ययन समूह स्थापित करने पर विचार कर सकती है और बाद में इन पंक्तियों पर विधियों में संशोधन कर सकती है क्योंकि ऐसा सुझाव राष्ट्रीय नगरीय नवीनीकरण मिशन के तहत भी दिया गया है।	संपत्ति कर बोर्ड का गठन नगरपालिकाओं में वर्तमान संपत्ति कर प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किया गया है जिसमें इकाई क्षेत्र पद्धति को अपनाना और लचीली दरों को शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 65 और 86 में संशोधन किया गया है।	**आंशिक रूप से लागू किया गया।** ➢ 14 नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में से केवल चार[3] शहरी स्थानीय निकाय नई इकाई क्षेत्र पद्धति के अनुसार संपत्ति कर उदग्रहित कर रहे थे। इकाई क्षेत्र पद्धति को अपनाने वाले शहरी स्थानीय निकायों की संख्या की चर्चा **पैरा 5.4.1.2** में की गई है।
4	<u>तृतीय 16.17</u>	राज्य वित्त आयोगों और केंद्र वित्त आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन पर निगरानी करने के लिए एक संस्थागत तंत्र की निरंतरता की आवश्यकता और नियमित	सरकार ने कहा कि राज्य वित्त आयोगों से संबंधित कार्य बिना किसी अतिरिक्त पदों के सृजन के किए	**लागू नहीं किया गया।** ➢ इसके परिणामस्वरूप राज्य वित्त आयोग के गठन और सिफारिशों

[3] नगर पंचायत अर्की, नगर परिषद बिलासपुर, ज्वालामुखी तथा नगर निगम शिमला।

		रूप से स्थानीय सरकारी संस्थानों से संबंधित वित्तीय डेटा एकत्र और संकलित करने को पुन: दोहराने की आवश्यकता नहीं है। चौथे वित्त आयोग ने भी स्थायी संस्थागत व्यवस्था को दोहराया है। 13वें वित्त आयोग ने भी इसके लिए सिफारिश की है।	जाएंगे क्योंकि स्थायी कर्मचारियों से राज्य सरकार के खजाने पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा।	के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ जैसा कि परिच्छेद **4.2.5.1** में चर्चा की गई है।
5	<u>चतुर्थ 13.11(10)</u>	आयोग ने पाया कि सभी जिलों में जिला योजना समितियों का गठन किया गया है, हालांकि, जिला योजना समितियां केवल दो जिलों में ही पूरी तरह कार्यशील हैं तथा चंबा और सिरमौर और विकास योजना का मसौदा तैयार कर रहे हैं। जिला योजना समितियों को सभी जिलों में क्रियान्वित करने तथा जिला योजना समिति को और अधिक अधिकार प्रदान करने के प्रयास किये जायें। राज्य सरकार योजना विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा गठित जिला योजना, एवं 20 सूत्री संशोधित कार्यक्रम विकास समिति को सौंपे गए कार्यों को जिला योजना समिति के कार्यों में मिलाने पर विचार कर सकती है।	की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन प्रतीक्षित है।	**लागू नहीं किया गया।** ➢ पंचायतों और नगर पालिकाओं के बीच सामान्य हित के मामलों के संबंध में विकास योजना का प्रारूप किसी भी नगर पालिका द्वारा तैयार नहीं की गई थी जैसा कि पैरा **4.2.4** में चर्चा की गई है। (जिला योजना समितियों का गठन)
6	<u>चतुर्थ 11.18</u>	आयोग का विचार था कि नगरीय क्षेत्रों के उपयोगकर्ता स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति में अधिक सुधार के लिए अतिरिक्त धन का भुगतान कर सकते हैं। इसलिए, आयोग का विचार है कि बिजली कर की दर मौजूदा 2 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 5	की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन प्रतीक्षित है।	लागू नहीं किया गया। ➢ नमूना-जांचित समस्त शहरी स्थानीय निकायों में विद्युत कर वर्तमान में 2 पैसे प्रति यूनिट की दर से उदग्रहित किया जा रहा है ।

		पैसे प्रति यूनिट की जा सकती है, विशेष रूप से नगर पालिकाओं के मामले में स्ट्रीट लाइटिंग के कारण लंबित बकाया को समाप्त करने के लिए।		
7	चतुर्थ 13.11(9)	आयोग ने पाया कि अधिकांश विभागों ने शहरी विकास विभाग द्वारा की गई अधिसूचना के अनुसार निधि, कार्यों और पदाधिकारियों को स्थानांतरित नहीं किया है। राज्य सरकार को संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने और स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के लिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के सचिवों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करना चाहिए। जिससे स्थानीय शासन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को निधियों, कार्यों और पदाधिकारियों के प्रत्यायोजन / हस्तांतरण की पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जा सके।	की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन प्रतीक्षित है।	ऐसी कोई उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित नहीं की गई थी। निधियों, कार्यों और पदाधिकारियों को स्थानांतरित करने के लिए कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया गया था। ऐसा अंतिम प्रयास वर्ष 2004 में हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में किया गया था। (सितंबर 2004)।
8	पंचम (आर-5)	आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों से सेवानिवृत्त राज्य संवर्ग के अधिकारियों के पेंशन लाभों को पूरा करने के लिए एक केंद्रीकृत पेंशन कोष बनाने की भी सिफारिश की है, जो ऐसे नगर निकायों से योगदान लेकर पेंशन के लिए पात्र हैं जहां ऐसे अधिकारियों ने काम किया है। यह आवश्यक है क्योंकि, अन्यथा, पेंशन लाभ का भार शहरी स्थानीय निकाय पर पड़ता है जहां से व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है।	की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन प्रतीक्षित है	केंद्रीकृत पेंशन और ग्रेच्युटी फंड नहीं बनाया गया है। नगर पालिकाएं अपने स्तर पर पेंशन और ग्रेच्युटी फंड का रख-रखाव कर रही हैं।

परिशिष्ट-5.1 (क)

(संदर्भ: परिच्छेद 5.2.2.1, पृष्ठ 48)

2018-19 के निष्पादन अनुदान के लिए 2017-18 के सेवा स्तरीय बेंचमार्क संकेतक

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	लेखाओं की लेखापरीक्षा	स्वयं की आय से स्थापना लागत और संचालन एवं रखरखाव लागत को वहन करना	कुल व्यय के हिस्से के रूप में पूंजीगत व्यय	जल आपूर्ति कवरेज	राजस्व रहित जल में कमी	सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों की जलापूर्ति का कवरेज	वैज्ञानिक तरीके से संसाधित किए जा रहे कचरे का प्रतिशत	कुल अंक
1	अर्की	0	0	20	15	15	0	0	50
2	बिलासपुर	0	0	20	15	15	0	0	50
3	भुंतर	0	0	20	0	0	0	0	20
4	धर्मशाला	0	0	20	15	10	0	0	45
5	ज्वालामुखी	0	15	20	15	15	0	0	65
6	हमीरपुर	0	0	20	15	15	0	0	50
7	मनाली	0	20	20	0	0	10	0	50
8	नाहन	0	0	20	15	15	0	5	55
9	नेरचौक	0	0	0	5	15	0	0	20
10	पांवटा साहिब	0	0	20	0	0	0	0	20
11	रामपुर	0	20	20	0	0	0	0	40
12	शिमला	0	0	10	10	10	0	0	30
13	सोलन	0	20	20	15	15	0	0	70
14	सुन्नी	0	0	20	10	15	0	0	45

परिशिष्ट-5.1 (ख)

(संदर्भ: परिच्छेद 5.2.2.1, पृष्ठ 48)

2019-20 के निष्पादन अनुदान के 2018-19 के सेवा स्तरीय बेंचमार्क संकेतक

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	लेखाओं की लेखापरीक्षा	स्वयं की आय से स्थापना लागत और संचालन एवं रखरखाव लागत को वहन करना	कुल व्यय के हिस्से के रूप में पूंजीगत व्यय	जल आपूर्ति कवरेज	राजस्व रहित जल में कमी	सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों की जलापूर्ति का कवरेज	वैज्ञानिक तरीके से संसाधित किए जा रहे कचरे का प्रतिशत	कुल स्कोर
1	अर्की	0	0	20	15	15	0	0	50
2	बिलासपुर	0	0	10	15	15	0	0	40
3	भुंतर	0	0	20	0	0	0	0	20
4	धर्मशाला	0	10	20	15	15	0	0	60
5	ज्वालामुखी	0	15	20	15	15	0	0	65
6	हमीरपुर	0	0	20	15	15	0	0	50
7	मनाली	0	20	20	0	0	10	0	50
8	नाहन	0	15	20	15	10	0	5	65
9	नेरचौक	0	0	0	5	15	0	0	20
10	पांवटा साहिब	0	0	20	0	0	0	0	20
11	रामपुर	0	20	20	10	10	0	0	60
12	शिमला	0	0	15	10	10	0	0	35
13	सोलन	0	20	20	15	15	0	0	70
14	सुन्नी	0	15	20	10	15	0	0	60

परिशिष्ट-5.2

(संदर्भ: परिच्छेद 5.4, पृष्ठ 52)

नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों का विवरण

वर्ष 2015-16

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	अनुदान						स्व-राजस्व	नियत राजस्व	कुल	कुल राजस्व	कुल राजस्व में स्व-राजस्व का प्रतिशत
		केंद्र प्रायोजित योजनाएं	केन्द्रीय वित्त आयोग	कुल	राज्य प्रायोजित योजनाएं	राज्य वित्त आयोग	कुल					
1	अर्की	22.21	7.42	29.63	7.15	44.8	51.95	15.99	2.84	18.83	100.41	16
2	बिलासपुर	13.39	57.58	70.97	12.48	180.32	192.8	30.54	4.15	34.69	298.46	10
3	भुंतर	1.06	17.6	18.66	11.43	57.62	69.05	33.81	4.98	38.79	126.5	27
4	धर्मशाला	652.12	89.51	741.63	1,623.43	298.79	1,922.22	341.09	15.91	357	3,020.85	11
5	ज्वालामुखी	427.94	22.92	450.86	29.65	70.8	100.45	94.84	5.06	99.9	651.21	15
6	हमीरपुर	59.89	67.16	127.05	84.01	232.48	316.49	168.74	11.35	180.09	623.63	27
7	मनाली	1.99	19.02	21.01	109.27	119.32	228.59	456.37	20.1	476.47	726.07	63
8	नाहन	0	21.61	21.61	83.9	372.21	456.11	143.29	2.21	145.5	623.22	23
9	नेरचौक	0	0	0	0	100	100	17.5	0	17.5	117.5	15
10	पांवटा साहिब	7.79	94.65	102.44	13.8	332.57	346.37	354.44	10.61	365.05	813.86	44
11	रामपुर	132.87	91.99	224.86	45.4	4.55	49.95	304.29	4.08	308.37	583.18	52
12	शिमला	2,397.05	631.29	3,028.34	1,352.51	2,546.42	3,898.93	5,418.49	279.76	5,698.25	12,625.52	43
13	सोलन	277.7	144.6	422.3	19.44	518.43	537.87	760.51	33.03	793.54	1,753.71	43
14	सुन्नी	4.32	7.93	12.25	4.73	35.56	40.29	15.24	5.16	20.4	72.94	21
	योग	**3,998.33**	**1,273.28**	**5,271.61**	**3,397.2**	**4,913.87**	**8,311.07**	**8,155.14**	**399.24**	**8,554.38**	**22,137.06**	

वर्ष: 2016-17

(₹ लाख में)

क्र. स.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	अनुदान						स्व-राजस्व	नियत राजस्व	कुल	कुल राजस्व	कुल राजस्व में स्व-राजस्व का प्रतिशत
		केंद्र प्रायोजित योजनाएं	केन्द्रीय वित्त आयोग	कुल	राज्य प्रायोजित योजनाएं	राज्य वित्त आयोग	कुल					
1	अर्की	50.1	15.09	65.19	7.41	42.41	49.82	22.06	0	22.06	137.07	16
2	बिलासपुर	228.72	70.89	299.61	156.92	190.49	347.41	46.02	13.08	59.1	706.12	7
3	भुंतर	1.39	23.48	24.87	53.72	62.43	116.15	37.94	0	37.94	178.96	21
4	धर्मशाला	1610.87	253.03	1,863.9	450.17	746.99	1,197.16	421.68	2.08	423.76	3,484.82	12
5	ज्वालामुखी	55.69	28.1	83.79	199.93	74.79	274.72	154.15	5.3	159.45	517.96	30
6	हमीरपुर	30.19	84.91	115.1	243.34	245.6	488.94	209.18	0	209.18	813.22	26
7	मनाली	0	39.5	39.5	25.38	112.95	138.33	423.68	1.4	425.08	602.91	70
8	नाहन	38.39	94.07	132.46	550.15	0	550.15	704.77	6.27	711.04	1,393.65	51
9	नेरचौक	3.66	86	89.66	80.67	227.48	308.15	145.29	0	145.29	543.1	27
10	पांवटा साहिब	106.08	119.92	226	15.5	351.33	366.83	257.3	0	257.3	850.13	30
11	रामपुर	83.62	17.58	101.2	24	155.36	179.36	503.08	3.85	506.93	787.49	64
12	शिमला	1,896.16	803.95	2,700.11	5,917.43	2,665.83	8,583.26	5,493.71	190.61	5,684.32	16,967.69	32
13	सोलन	101.24	184.27	285.51	416.55	547.68	964.23	954.27	0.73	955	2,204.74	43
14	सुन्नी	95.37	13.27	108.64	2.45	36.15	38.6	22.02	3.32	25.34	172.58	13
	योग	**4,301.48**	**1,834.06**	**6,135.54**	**8,143.62**	**5,459.49**	**13,603.11**	**9,395.15**	**226.64**	**9,621.79**	**29,360.44**	

वर्ष: 2017-18

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	अनुदान						स्व-राजस्व	नियत राजस्व	कुल	कुल राजस्व	कुल राजस्व में स्व - राजस्व का प्रतिशत
		केंद्र प्रायोजित योजनाएं	केन्द्रीय वित्त आयोग	कुल	राज्य प्रायोजित योजनाएं	राज्य वित्त आयोग	कुल					
1	अर्की	32.68	13.51	46.19	38.91	46.65	85.56	17.78	5.87	23.65	155.4	11
2	बिलासपुर	238.07	65.28	303.35	33.92	209.54	243.46	47.92	4.86	52.78	599.59	8
3	भुंतर	0	19.74	19.74	29.45	68.68	98.13	36.98	0	36.98	154.85	24
4	धर्मशाला	1,267.92	260.69	1,528.61	423.27	821.69	1,244.96	556.29	19.99	576.28	3,349.85	17
5	ज्वालामुखी	56.85	26.02	82.87	108.73	82.27	191	164.93	5.11	170.04	443.91	37
6	हमीरपुर	58.53	74.73	133.26	183.03	270.16	453.19	216.74	14.21	230.95	817.4	27
7	मनाली	1.1	35.02	36.12	119.37	124.24	243.6	475.33	0.78	476.11	755.83	63
8	नाहन	196.41	144	340.41	252	662.04	914.04	410.65	14.9	425.55	1680	24
9	नेरचौक	2.78	79.91	82.69	52	250.22	302.22	82.59	5.07	87.66	472.57	17

10	पांवटा साहिब	512.05	105.44	617.49	15.5	386.46	401.96	290.72	22.95	313.67	1,333.12	22
11	रामपुर	121.64	38.47	160.11	111.74	141.78	253.52	494.27	3.49	497.76	911.39	54
12	शिमला	2,756.86	699.58	3,456.44	1,997.82	2,902.42	4,900.24	4,772.82	188.86	4,961.66	13,318.34	36
13	सोलन	55.03	160.5	215.53	29.6	602.44	632.04	993.5	57.89	1,051.39	1,898.96	52
14	सुन्नी	1.82	12.35	14.17	14.4	39.76	54.16	19.56	2.29	21.85	90.18	22
	योग	**5,301.74**	**1,735.24**	**7,036.98**	**3,409.74**	**6,608.35**	**10,018.08**	**8,580.08**	**346.27**	**8,926.33**	**25,981.39**	

वर्ष: 2018-19

(₹ लाख में)

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	अनुदान						स्व-राजस्व	नियत राजस्व	कुल	कुल राजस्व	कुल राजस्व में स्व-राजस्व का प्रतिशत
		केंद्र प्रायोजित योजनाएं	केन्द्रीय वित्त आयोग	कुल	राज्य प्रायोजित योजनाएं	एसएफसी	कुल					
1	अर्की	59.94	7.8	67.74	2.4	51.47	53.87	17.37	2.54	19.91	141.52	12
2	बिलासपुर	28.67	70.34	99.01	30.34	231.18	261.52	82.82	2.94	85.76	446.29	19
3	भुंतर	36.34	11.41	47.75	67.89	75.77	143.66	60.56	0	60.56	251.97	24
4	धर्मशाला	1176.71	127.99	1304.7	524.26	906.57	1430.83	758.18	39.58	797.76	3533.29	21
5	ज्वालामुखी	113.07	15.03	128.1	6.7	90.77	96.47	165.96	2.59	168.55	393.12	42
6	हमीरपुर	55.17	43.2	98.37	162.5	298.06	460.56	218.25	12.6	230.85	789.78	28
7	मनाली	6.75	94.72	101.47	355.59	137.08	492.67	426.41	1.98	428.39	1022.53	42
8	नाहन	205.28	172.8	378.08	932.37	794.88	1727.25	955.77	17.8	973.57	3078.9	31
9	नेरचौक	274.4	46.14	320.54	39.25	276.06	315.31	99.16	5.15	104.31	740.16	13
10	पांवटा साहिब	125.35	60.95	186.3	15.46	426.38	441.84	301.76	6.4	308.16	936.3	32
11	रामपुर	85.46	22.24	107.7	11.96	156.43	168.39	435.72	0.41	436.13	712.22	61
12	शिमला	3184.24	404.49	3588.7	2728.6	3171.21	5899.81	3729.43	316.71	4046.14	13534.65	28
13	सोलन	5.77	92.8	98.57	81.5	664.67	746.17	1038.93	35.38	1074.31	1919.05	54
14	सुन्नी	8.42	6.99	15.41	14.44	43.87	58.31	35.13	0.88	36.01	109.73	32
	योग	**5365.57**	**1176.9**	**6542.44**	**4973.26**	**7324.4**	**12296.66**	**8325.45**	**444.96**	**8770.41**	**27609.51**	

वर्ष: 2019-20

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	अनुदान						स्व-राजस्व	नियत राजस्व	कुल	कुल राजस्व	कुल राजस्व में स्व - राजस्व का प्रतिशत
		केंद्र प्रायोजित योजनाएं	केन्द्रीय वित्त आयोग	कुल	राज्य प्रायोजित योजनाएं	एसएफसी	कुल					
1	अर्की	31.74	14.96	46.7	24.02	60.01	84.03	22.68	3.98	26.66	157.39	14
2	बिलासपुर	93.49	37.7	131.19	24.12	264.93	289.05	69.58	4.6	74.18	494.42	14
3	भुंतर	3.2	27.38	30.58	62.16	71.5	133.65	53.22	0	53.22	217.45	24
4	धर्मशाला	626.58	363.68	990.26	227.98	1159.77	1387.75	617.07	50.52	667.59	3045.6	20
5	ज्वालामुखी	31.32	3.85	35.17	17.7	119.42	137.12	388.13	2.84	390.97	563.26	69
6	हमीरपुर	37	101.23	138.23	55.22	298.04	353.26	563.97	13.23	577.2	1068.69	53
7	मनाली	6.74	47.42	54.16	29.2	139.57	168.77	510.62	0.59	511.21	734.14	70
8	नाहन	236.07	198.72	434.79	1072.24	914.11	1986.35	929.76	20.56	950.32	3371.46	28
9	नेरचौक	37.43	107.78	145.21	38.78	338.78	377.56	151.44	5.74	157.18	679.95	22
10	पांवटा साहिब	62.66	142.88	205.54	55	427.26	482.26	292.49	9.58	302.07	989.87	30
11	रामपुर	50.66	52.14	102.8	1.5	174.31	175.81	244.76	0	244.76	523.37	47
12	शिमला	6968.75	943.49	7912.24	1116.54	3101.58	4218.12	2625.34	233.09	2858.43	14988.79	18
13	सोलन	46.12	217.67	263.79	37.37	688.3	725.67	1097.16	40.9	1138.06	2127.52	52
14	सुन्नी	15.32	16.5	31.82	14	42.58	56.58	29.48	0	29.48	117.88	25
	योग	**8247.08**	**2275.4**	**10522.48**	**2775.83**	**7800.16**	**10575.98**	**7595.7**	**385.63**	**7981.33**	**29079.79**	

2015-20 की अवधि के लिए नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों के सभी स्रोतों से राजस्व

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	अनुदान						स्व-राजस्व	नियत राजस्व	कुल	कुल राजस्व (3+6+9)	कुल राजस्व में स्व -राजस्व का प्रतिशत
		केंद्र प्रायोजित योजनाएं	केन्द्रीय वित्त आयोग	कुल	राज्य प्रायोजित योजनाएं	एसएफ सी	कुल					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	अर्की	196.67	58.78	255.45	79.89	245.34	325.23	95.88	15.23	111.11	691.79	14
2	बिलासपुर	602.34	301.79	904.13	257.78	1076.46	1334.24	276.88	29.63	306.51	2544.88	12
3	भुंतर	41.99	99.61	141.6	224.65	336	560.64	222.51	4.98	227.49	929.73	24
4	धर्मशाला	5334.2	1094.9	6429.1	3249.11	3933.81	7182.92	2694.31	128.08	2822.39	16434.41	16
5	ज्वालामुखी	684.87	95.92	780.79	362.71	438.05	799.76	968.01	20.9	988.91	2569.46	39
6	हमीरपुर	240.78	371.23	612.01	728.1	1344.34	2072.44	1376.88	51.39	1428.27	4112.72	32
7	मनाली	16.58	235.68	252.26	638.81	633.16	1271.96	2292.41	24.85	2317.26	3841.48	62
8	नाहन	676.15	631.2	1307.35	2890.66	2743.24	5633.9	3144.24	61.74	3205.98	10147.23	31

9	नेरचौक	318.27	319.83	638.1	210.7	1192.54	1403.24	495.98	15.96	511.94	2553.28	19
10	पांवटा साहिब	813.93	523.84	1337.77	115.26	1924	2039.26	1496.71	49.54	1546.25	4923.28	32
11	रामपुर	474.25	222.42	696.67	194.6	632.43	827.03	1982.12	11.83	1993.95	3517.65	56
12	शिमला	17203.06	3482.8	20685.83	13112.9	14387.46	27500.36	22039.77	1209.03	23248.8	71434.99	31
13	सोलन	485.86	799.84	1285.7	584.46	3021.52	3605.98	4844.37	167.93	5012.3	9903.98	49
14	सुन्नी	125.25	57.04	182.29	50.02	197.92	247.94	121.43	11.65	133.08	563.31	23
	योग	**27215.2**	**8296.88**	**35512.05**	**22703.65**	**32111.27**	**54810.9**	**42058.5**	**1810.74**	**43863.24**	**134168.2**	**32**

परिशिष्ट-5.3

(संदर्भ: परिच्छेद 5.4.1.1, पृष्ठ 54)

संपत्ति कर की गणना की पद्धतियां

वार्षिक रेंटल वैल्यू (कर की दर 7.5 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत)		**यूनिट एरिया वैल्यू (कर की दर 01 प्रतिशत से 25 प्रतिशत)**
भूमि	i) फिलहाल लागू किराया प्रतिबंध से संबंधित कानून के तहत तय किया गया उचित किराया; या ii) जहां मद (i) में निर्दिष्ट कोई उचित किराया निर्धारित नहीं है, जिस पर इसे किराए पर देने की उम्मीद है या वास्तव में इसे किराए पर दिया गया है, जो भी अधिक हो; या भूमि की लागत का 10 प्रतिशत (यदि भूमि का सकल वार्षिक किराया (i) और (ii) में निर्धारित नहीं किया जा सकता है।	भूमि का वास्तविक क्षेत्र (वर्गमीटर) x विशेष क्षेत्र के लिए स्थान कारक
घर या भवन	i) जिस पर भवन या मकान किराये पर दिया हो या ii) यदि मद (i) में उल्लिखित अनुसार सकल वार्षिक किराया निर्धारित नहीं किया जा सकता है तो भवन के निर्माण की लागत और भूमि की लागत के योग का 10 प्रतिशत iii) भवन के रखरखाव के लिए आवश्यक मरम्मत और अन्य खर्चों के लिए 10 प्रतिशत की कटौती। **(वार्षिक किराया मूल्य = मासिक किराया मूल्य x 12-10 प्रतिशत)**	i) प्लिंथ क्षेत्र का प्रति वर्ग मीटर) x स्थान कारक x आयु कारक x उपयोग कारक x संरचना कारक x विशेष क्षेत्र के लिए निर्धारित अधिभोग ii) भवन के रख-रखाव के लिए आवश्यक मरम्मत और अन्य खर्चों के लिए 10 प्रतिशत की कटौती। iii) भूमि और भवनों की इकाई के दर योग्य मूल्य पर सम्पत्ति कर की दर तथा दर योग्य मूल्य की गणना विधि उप-नियमों द्वारा निर्धारित की जाएगी।

परिशिष्ट-5.4

(संदर्भ: परिच्छेद 5.6 पृष्ठ 68)

विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए जलापूर्ति तथा संचालन व रखरखाव पर व्यय के प्रति मांग व संग्रहित शुल्क को दर्शाने वाला विवरण

1. नगर परिषद सोलन

(₹ लाख में)

वर्ष	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**कुल**
अथ शेष	74.74	80.26	84.00	106.37	124.89	**74.74**
की गई मांग	223.57	286.18	311.14	347.77	378.44	**1547.10**
कुल मांग	298.31	366.44	595.14	454.13	503.33	**1621.84**
संग्रहण	218.05	282.44	288.77	329.24	390.08	**1508.58**
अंत शेष	80.26	84.00	106.37	124.89	113.25	**113.25**
संचालन व रखरखाव लागत	234.71	241.82	297.14	324.76	288.80	
मांग के प्रति संग्रहण (प्रतिशत)	**73**	**77**	**48**	**72**	**77**	**93**

2. नगर निगम शिमला व शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड

(₹ लाख में)

वर्ष	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**कुल**	**2018-19**	**2019-20**	**कुल**
अथ शेष	783.05	994.54	1203.19	**783.05**	575.26	2338.10	**575.26**
की गई मांग	2123.54	2370.87	2371.79	**6866.20**	2213.48	1751.90	**3965.38**
कुल मांग	2906.59	3365.41	3574.98	**7649.25**	2788.74	3990.00	**4540.64**
संग्रहण	1912.05	2162.22	1983.44	**6057.71**	550.63	1685.13	**2235.76**
अंत शेष	994.54	1203.19	1591.54	**1591.94**	2238.10	2304.87	**2304.87**
संचालन व रखरखाव लागत	65.60	121.36	1963.15		569.44	1486.64	
मांग के प्रति संग्रहण (प्रतिशत)	**66**	**64**	**55**	**79**	**20**	**42**	**49**

टिप्पणी: नगर निगम शिमला द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अंत शेष राशि ₹1591.54 लाख (31.03.2018) थी, हालांकि, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने अथ शेष (01.04.2018) ₹575.26 लाख दिखाया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹1016.28 लाख के अथ शेष में अंतर हुआ।

3. जल शक्ति विभाग:

नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में चार जल शक्ति मंडलों[4] से प्राप्त सूचना के अवलोकन से पता चला कि जल प्रभारों का औसत संग्रहण मांग की गई राशि (2015-16 से 2019-20) के प्रति 87 प्रतिशत था।

(₹ लाख में)

वर्ष	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**कुल**
अथ शेष	43.43	59.09	87.89	105.13	113.91	**43.43**
की गई मांग	181.55	248.18	229.18	239.66	284.50	**1183.07**
कुल मांग	224.98	307.27	317.08	344.79	398.41	**1226.5**
संग्रहण	165.89	219.38	211.95	230.88	235.71	**1063.81**
अंत शेष	59.09	87.89	105.13	113.91	162.70	**162.69**
संचालन व रखरखाव लागत	185.76	117.99	202.74	202.03	305.77	
मांग के प्रति संग्रहण (प्रतिशत)	**74**	**71**	**67**	**67**	**59**	**87**

[4] अर्की, धर्मशाला, हमीरपुर और कुल्लू (भुंतर)

परिशिष्ट-5.5

(संदर्भ: परिच्छेद 5.8.2, पृष्ठ 72)

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर उपयोगकर्ता शुल्क, संग्रहण योग्य उपयोगकर्ता शुल्क एवं राजस्व व्यय के संग्रहण का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	संग्रहण अवधि	संग्रहण योग्य राशि*	संग्रहित राशि	अंतर	संग्रहण योग्य राशि के प्रति संग्रहित राशि का प्रतिशत	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर समान अवधि के लिए राजस्व व्यय	संग्रहण से व्यय का प्रतिशत
1	नगर निगम,धर्मशाला	सितंबर 2019 से जनवरी 2021	207.65	18.43	189.21	9	561.75	3
2	नगर निगम,शिमला	अप्रैल 2015 से मार्च 2020	4855.77*	1940.57	2915.20	40	3585.08	54
3	नगर परिषद, बिलासपुर	फरवरी 2020 से दिसंबर 2020	27.97	16.70	11.27	60	28.54	58
4	नगर परिषद, हमीरपुर	अप्रैल 2018 से मार्च 2020	65.46	29.87	35.59	46	172.44	17
5	नगर परिषद, ज्वालामुखी	जनवरी 2019 से जनवरी 2021	36.25	0.37	35.88	1	34.00	1
6	नगर परिषद, मनाली	अप्रैल 2015 से मार्च 2020	90.26	45.82	44.44	51	401.37	11
7	नगर परिषद, नाहन	जून 2019 से नवंबर 2020	175.20	25.85	149.35	15	लागू नहीं	लागू नहीं
8	नगर परिषद, नेरचौक	अप्रैल 2018 से मार्च 2020	74.40	2.49	71.93	3	135.94	2
9	नगर परिषद, पांवटा साहिब	नवंबर 2019 से नवंबर 2020	59.65	1.69	57.96	3	144.89	1
10	नगर परिषद, रामपुर	मई 2018 से मार्च 2020	82.95	15.39	67.56	19	80.32	19
11	नगर परिषद, सोलन	अप्रैल 2015 से मार्च 2020	297.26	76.03	221.23	26	306.66	25
12	नगर पंचायत, अर्की	अप्रैल 2019 से दिसंबर 2020	17.69	4.59	13.09	26	16.23	28
13	नगर पंचायत, भुंतर	अप्रैल 2015 से मार्च 2020	29.65	1.26	28.38	4	88.76	1
14	नगर पंचायत, सुन्नी	अप्रैल 2019 से जनवरी 2021	23.12	6.14	16.98	27	26.32	23

* संग्रहण योग्य राशि की गणना (संपत्ति की विभिन्न श्रेणियां * उप-नियमों में निर्दिष्ट विभिन्न दरें * गणना हेतु लिए गए महीनों की संख्या)

नगर निगम शिमला के मामले में, घरेलू, व्यवसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की संख्या हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से बिजली कनेक्शनों की संख्या एवं पर्यटन व नागरिक उड्डयन विभाग से लिए गए होटलों की संख्या के आधार पर निकाली गई थी। संग्रहण योग्य राशि की गणना नगर निगम टैक्स का भुगतान करने वाले घरेलू, व्यवसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संबंध में न्यूनतम उपयोगकर्ता शुल्क को गुणा करके तथा हर साल संभावित गैर-अधिभोग के लिए **10** प्रतिशत छूट की अनुमति देकर की जाती है।

परिशिष्ट-5.6

(संदर्भ: परिच्छेद 5.9.1, पृष्ठ 74)

शहरी स्थानीय निकायों की प्रत्येक श्रेणी में बजट में भिन्नता दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

शहरी स्थानीय निकाय की श्रेणी	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वर्ष	प्राप्तियां			व्यय		
			बजट	वास्तविक	वास्तविक से बजट का प्रतिशत (प्रतिशत)	बजट	वास्तविक	वास्तविक से बजट का प्रतिशत (प्रतिशत)
नगर निगम	शिमला	2015-16	12172.3	12625.52	103	16612.3	11722.43	71
		2016-17	18196.6	16966.69	93	21517.52	13388.5	62
		2017-18	40167.27	13318.34	33	35713.77	14946.28	42
		2018-19	35505.1	13534.68	38	34323	13584.09	40
		2019-20	29752.59	14988.79	50	29623.22	13580.94	46
	धर्मशाला	2015-16	748.12	3020.83	403	744.74	2044.5	274
		2016-17	1739.98	3484.82	200	1272.57	2269.5	178
		2017-18	12300.8	3404.85	28	13572	3401.1	25
		2018-19	5965.85	3533.29	59	7348.51	2951.06	40
		2019-20	7325.44	3045.6	42	7565.15	2992.71	40
नगर परिषद	बिलासपुर	2015-16	316.09	307.43	97	772.64	422.76	55
		2016-17	380.11	529.89	139	762.79	553.61	72
		2017-18	397.51	495.74	124	803.08	600.85	75
		2018-19	525.12	461.01	88	793.74	526.22	66
		2019-20	494.35	495	100	726.58	495.51	68
	ज्वालामुखी	2015-16	302.1	651.73	215	286.99	454.23	158
		2016-17	356.29	523.5	146	347.51	524.13	150
		2017-18	442.7	444.49	100	420.57	343.74	81
		2018-19	546.21	391.14	71	516.06	349.53	68
		2019-20	573.13	427.49	75	560.7	438.22	78
	हमीरपुर	2015-16	786.38	587.56	74	793.38	855.51	107
		2016-17	865.02	617.53	71	907.89	514.87	57
		2017-18	987.51	635.37	64	998.64	398.6	40
		2018-19	1078.75	623.85	58	1077.5	780.17	72
		2019-20	1186.63	640.68	54	1185.24	520.41	44
	मनाली	2015-16	545.5	726.07	133	468.92	630.96	134
		2016-17	552.37	1438.06	260	487.21	725.61	148
		2017-18	612.87	755.83	123	552.67	726.9	131
		2018-19	677.65	1022.5	150	625.32	742.89	118
		2019-20	833.65	743.14	89	790.27	684.47	87
	नाहन	2015-16	1040.54	621.96	60	1051.35	756.51	72
		2016-17	1248.64	781.3	63	1209.05	1089.18	90
		2017-18	1498.37	916.61	61	1450.86	1488.65	102
		2018-19	3079.05	1055.87	34	2924.04	5521.7	189

		2019-20	3540.9	3371.51	95	3386.58	3279.62	97
	पांवटा साहिब	2015-16	550.97	682.31	123	1088.35	925.05	85
		2016-17	515.29	851.13	165	1085.68	661.35	61
		2017-18	630.88	1333.25	211	1114.24	919.81	83
		2018-19	655.83	936.32	142	1406.1	1373.21	98
		2019-20	661.46	989.87	150	1553.26	1116.97	72
	रामपुर	2015-16	1654.95	583.3	35	1665.91	722.48	44
		2016-17	1913.15	1787.51	94	1809.99	1433.41	79
		2017-18	1515.25	911.42	60	1878.65	1202.57	64
		2018-19	1973.8	712.23	37	1830.98	927.97	51
		2019-20	1871.5	523.39	28	1963.7	607.19	31
	सोलन	2015-16	5683.95	1908.47	34	5961.56	1693.07	29
		2016-17	6099.56	2293.43	38	6463.19	2399.06	37
		2017-18	8026.4	2381.84	30	8457.08	2434.7	29
		2018-19	9117	1991.06	21	9031.52	2269.01	25
		2019-20	9270.5	2127.52	23	9324	2104.57	22
नगर पंचायत	अर्की	2015-16	113.09	100.96	89	100.07	99.34	99
		2016-17	156.41	137.61	88	141.24	91.53	65
		2017-18	195.64	155.83	80	176.57	169.86	97
		2018-19	210.25	170.58	81	210.7	192.02	91
		2019-20	241.1	182.72	76	244.87	140.87	57
	सुन्नी	2015-16	47.2	69.25	146	82.47	65.83	80
		2016-17	77.2	79.13	102	82.47	92.9	112
		2017-18	77.2	91.19	118	108.67	79.1	73
		2018-19	77.2	112.78	146	120.67	73.08	60
		2019-20	94.2	125.44	134	120.67	90.73	75

परिशिष्ट-6.1

(संदर्भ: परिच्छेद 6.4.3, पृष्ठ 90)

राज्य में नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों के विभिन्न पदों पर रिक्तियों की विस्तृत स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्र सं	पद का नाम	स्वीकृत	नियमित	दैनिक वेतन भोगी	संविदाकर्मी	रिक्त	रिक्तियों का प्रतिशत
1	कार्यकारी अधिकारी	9	6	0	0	3	33
2	सहायक अभियंता	8	5	0	0	3	38
3	अधीक्षक ग्रेड-II	10	0	0	0	10	100
4	कनिष्ठ अभियंता	46	32	0	7	7	15
5	वरिष्ठ सहायक	44	42	0	0	2	5
6	सांख्यिकी सहायक	6	2	0	1	3	50
7	नक़्शानवीस	8	5	0	0	3	38
8	स्वच्छता निरीक्षक	20	5	0	0	15	76
9	लिपिक/जेएओ	169	75	0	9	85	50
10	स्वच्छता पर्यवेक्षक	29	21	0	0	8	28
11	सामुदायिक आयोजक	11	2	0	0	9	82
12	अभिलेखपाल	1	0	0	0	1	100
13	सफाई कर्मचारी	788	421	10	6	351	43
14	चपरासी/चौकीदार	101	67	8	0	26	26
15	सचिव	3	0	0	0	3	100
16	कार्य पर्यवेक्षक	27	25	0	0	2	7
17	बेलदार	232	208	5	0	19	9
18	चालक	60	43	0	0	17	28
19	मिस्त्री	28	21	1	0	6	21
20	श्रमिक	323	323	0	0	0	0
21	टोल गार्ड	15	4	0	0	11	73
22	पटवारी	2	1	0	0	1	50
23	माली	27	11	0	1	15	56
24	दफ्तरी	8	7	0	0	1	13
25	भिस्टी	2	2	0	0	0	0
26	इलेक्ट्रीशियन फोरमैन	10	2	0	0	8	80
27	उप. वन क्षेत्रपाल	1	0	0	0	1	100
28	वन रक्षक	4	2	0	0	2	50
29	बढ़ई	8	2	0	0	6	75
30	मेट	22	21	0	0	1	05
31	फिटर	39	14	0	0	25	64
32	स्वच्छता/सफाई जमादार	42	40	0	0	2	05
33	सहायक	4	3	0	0	1	25
34	मवेशी पौंड परिचारक	1	0	0	0	1	100
35	प्लम्बर	1	0	0	0	1	100

36	मीटर रीडर	4	3	0	0	1	25
37	कीमेन	12	3	0	0	9	75
38	बिल वितरक	2	2	0	0	0	0
39	पंप ऑपरेटर	9	1	0	0	8	89
40	अधिशाषी अभियंता	4	4	0	0	0	0
41	आयुक्त	2	2	0	0	0	0
42	सहायक आयुक्त	1	1	0	0	0	0
43	अपर आयुक्त	2	2	0	0	0	0
44	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	0	0	1	100
45	स्वास्थ्य अधिकारी	2	1	0	0	1	50
46	पशु चिकित्सा अधिकारी	1	1	0	0	0	0
47	वास्तुकार योजनाकार	3	1	0	0	2	67
48	उप नियंत्रक	2	2	0	0	0	0
49	निजी सहायक/ निजी सचिव	5	3	0	0	2	40
50	अधीक्षक जनरल	1	1	0	0	0	0
51	मुख्य लेखाकार/ लेखाकार	4	0	0	0	4	100
52	डेटा एंट्री ऑपरेटर	24	24	0	0	0	0
53	आशुलिपिक	2	1	0	0	1	50
54	कंप्यूटर सहायक	3	3	0	0	0	0
55	सर्वेक्षक	2	0	0	0	2	100
56	स्वास्थ्यकर्मी	2	1	0	0	1	50
57	नोटिस सर्वर	3	3	0	0	0	0
58	रानेओ ऑपरेटर	1	1	0	0	0	0
59	प्रयोगशाला तकनीशियन	2	1	0	0	1	50
60	फेरो प्रिंटर	1	0	0	0	1	100
61	टेलरिंग टीचर	1	0	0	0	1	100
62	परियोजना समन्वयक	1	1	0	0	0	0
63	बॉयलर मैन	1	0	0	0	1	100
64	लोहार	1	1	0	0	0	0
65	कानूनगो	1	0	0	0	1	100
66	नायब तहसीलदार	1	0	0	0	1	100
67	वृक्ष अधिकारी	1	1	0	0	0	0
68	विधि अधिकारी	1	1	0	0	0	0
कुल		**2212**	**1477**	**24**	**24**	**687**	**31**